राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, रामजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर।

क्रमांकः एफ 11(12ए)ओबीसी/कलाल–दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013 जयपुर, दिनांक 45600-33 14/07/16

समस्त जिला कलेक्टर

.....

विषय :– गैर मुस्लिम नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) जातियों के व्यक्तियों को अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अभिशंषा के आधार पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 52307 दिनांक 6.08.94, 12099 दिनांक 15.03.97 एवं 75681 दिनांक 12.11.99 द्वारा क्रमश नगारची– दमामी, राणा, बायती(बारोट) को राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया ।

इसके पश्चात राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अभिंशषा के आधार पर नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) के स्थान पर नगारची–दमामी (मुस्लिम), राणा(मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) जातियों को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 68254 दिनांक 13.09.2013 द्वारा राजस्थान राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया ।

उक्त अधिसूचना क्रमांक 68254 दिनांक 13.09.2013 जारी होने के पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया कि नगारची–दमामी (मुस्लिम), राणा (मुस्लिम), बायती (बारोट मुस्लिम) जातियों के व्यक्तियों को तो अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे है परन्तु गैर मुस्लिम नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) जातियों के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र नही बन पा रहे है। इससे यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि क्या गैर मुस्लिम नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) जाति वर्ग के व्यक्तियों का अन्य पिछडा वर्ग का दर्जा समाप्त हो गया है।

इस संबध में राज्य सरकार द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया एवं राजस्थान राज्य पिछडा वर्ग आयोग से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट चाही गयी। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) जातियों के आगे मुस्लिम शब्द जोड़ने के कारण अन्य गैर मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्गो के व्यक्तियों को भी पिछडा वर्ग में शामिल ही माने जावेंगे।

अतः गैर मुस्लिम नगारची–दमामी, राणा, बायती (बारोट) जातियों के व्यक्तियों को भी नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य पिछडा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी किये जा सकते है।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र चाहने वाले व्यक्ति की मूल जाति की जॉच करने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदि "ढोली" अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति उपरोक्त वर्गो में वर्णित उपनाम का बतौर जाति या सरनेम उल्लेख करते है तो वे अपनी मूल जाति ढोली प्रमाणित करने के बाद अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पाने के अधिकारी होगें। पिछडा वर्ग में उपरोक्त दमामी–नगारची, राणा, बायती (बारोट) हिन्दू सभी शामिल माने जावेगें जबकि वे मूल जाति ढोली के न हो। यदि किसी व्यक्ति की मूल जाति ढोली है और उपरोक्त में से काई उपनाम या उपजाति अपनी बताते हुये मूल जाति का प्रमाण पत्र चाहता है तो यह जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा जॉच कर संतुष्टि होने पर जारी किया जा सकता है, परन्तु कोष्ठक में मुस्लिम शब्द लिख देने मात्र से उपरोक्त वर्गो के हिन्दू धर्मावलम्बी वर्गो को पिछडा वर्ग से हटा दिया गया हो, यह नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्तानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(रवि जैन)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक प0ा11(125)आरएण्डपी।सकवि।86895-931 जयपुर, दिनांक 8-11-94

समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिला कलक्टर

परिपत्र

विषय:- राजस्थान राज्य में अधिसूचित पिछड़े वर्गों में गैर हिन्दू वर्गों के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र दिये जाने के संबन्ध में ।

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम प्रतिवेदन, 1994 के आधार पर समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ11(125)आरएण्डपी।सकवि।52307 दिनांक 6 अगस्त, 1994, जो राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 1(ख) दिनांक 8 अगस्त, 1994 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राज्य में सभी प्रयोजनार्थ पिछड़े वर्गों की सूची जारी की गई है । हिन्दु पिछड़े वर्गों के समान ही पैतृक व्यवसाय वाले गैर हिन्दू वर्गों की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिये राज्य सरकार को कई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ।

अत: इस बिन्दु का परीक्षण कर निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गैर हिन्दू व्यवसायिक जातियों को, जो अपने पुश्तैनी। पैतृक व्यवसाय के नाम से जानी जाती है और जिनके हिन्दू प्रतिरुप पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर लिये हैं व जिनके हिन्दू और गैर हिन्दू पैतृक व्यवसायिक नाम समान है, को भी पिछड़े वर्गों में ही माना जायेगा ।

किसी भी व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र देने से पहले इस बात की जांच की जानी चाहिये कि उसका व्यवसायिक पैतृक नाम रेखांकित हिन्दू पिछड़े वर्ग के समान ही है और इसी रुप में सामान्यतया संम्बोधित किया जाता है ।

(आर0सी0रुंगटा)
शासन उप सचिव

क्रमांक एफ11(125)आरएण्डपी।सकवि।86932-87031 जयपुर, दिनांक 8-11-94

प्रतिलिपि :-

1- मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2- समस्त प्रमुख शासन सचिव ।शासन सचिव ।
3- सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5- संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
7- पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
8- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर ।
10- निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण ।
11- अतिरिक्त पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच जयपुर।

---2

12- समस्त विभागाध्यक्ष
13- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क राजस्थान, जयपुर ।
14- समस्त पुलिस अधीक्षक ।
15- समस्त संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग ।
16- समस्त सहायक निदेशक । जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ।
17- गार्ड फाईल ।

शासन उप सचिव